कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांकः क्यू/री–एडीएम/ /2024/915 ग्वालियर, दिनांकः 02/10/24

।। आ दे श ।।

(अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163)

दिनांक 06 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर जिलान्तर्गत ग्राम शंकरपुर स्थित "श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम" में भारत एवं बागलादेश के मध्य एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन है। इस अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोनों देशों की क्रिकेट टीम सहित विदेशों एवं भारत के अन्य राज्यों से गणमान्य अतिथि/दर्शक ग्वालियर पधारेंगे। इसी दिनांक को केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न माननीय मंत्रीगणों का भी ग्वालियर दौरा संभावित है।

2/ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक पुअ/जिविशा/ग्वा/एम/2429/24 दिनांक 28.09.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि बांगलादेश में हिन्दुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा जिला ग्वालियर में जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन तथा सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) इंस्ट्राग्राम आदि के माध्यम से सामाजिक सद्भावना को तोड़ने, विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह–तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं ऑडियो मैसेज का प्रसारण/फारवर्ड कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित/फारवर्ड/कमेन्ट करने एवं बैनर, पोस्टर, होर्डिंग झण्डे, इत्यादि के माध्यम से आमजन की भावनायें आहत होकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित किये जाने की प्रबल संभावनाएं परिलक्षित हो रही है। अतः आम जनजीवन एवं लोक शांति, परिसंपत्ति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने का प्रस्ताव दिया है।

3/ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन एवं वर्तमान परिस्थितियों के परिवेश में मेरा यह समाधान होता है कि दिनांक 06 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले मैच में को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की राजस्व सीमान्तर्गत आम जनजीवन एवं लोक शांति, परिसंपत्ति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जावे।

4/ अतः मै, रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर जिले की नगर निगम सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163 के आधीन निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूं कि :–

4.1 कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स–एप, ट्विटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के विरोध स्वरूप उसमें बाधा उत्पन्न करने की दृष्टि से या अन्यथा धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहर्द्र को ध्वस्त करने सहित कोई भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाएं, आपत्तिजनक दृश्य, विरूपित चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के आदान–प्रदान, प्रसारण/फारवर्ड के लिए नहीं करेगा न हीं ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा। ग्रुप एडमिन भी इस बाबत की सूचना अपने मोबाइल यूजर को दे देवें।

4.2 उक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के विरोध स्वरूप या अन्यथा ऐसे कट–आउट, बैनर, पोस्टर, प्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर मैच के विरोध में आपत्तिजनक कन्टेन्ट तथा किसी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन तथा पुतला दहन आदि कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

4.3 सार्वजनिक स्थलों पर उक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के विरोध स्वरूप या अन्यथा कोई भी आपत्तिजनक संदेश, चित्र नारे, आदि लिखा जाना या उनको प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।

Ru

4.4 इस आदेश की अवधि के दौरान अस्त्र–शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य बोथरे हथियार तथा धारदार हथियार जैसे तलवार, भाला आदि लेकर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा।

4.5 इस आदेश की अवधि के दौरान ग्राम शंकरपुर स्थित ''श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम'' तथा ''ऊषा किरण पैलेस'' तथा ''होटल रेडीसन'' जिसमें भारत एवं बांगलादेश की टीमें रहेंगी, के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थो (मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तेजाब इत्यादि) का विधि विरूद्ध उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधति रहेगा।

4.6 ऐसा कोई भी आचरण/कृत्य जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर जिले की छवि धूमिल हो, प्रतिबंधित रहेगा।

5/ उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट/शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।

6/ यह आदेश ग्वालियर जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार–पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहाहै। आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तादेश का प्रचार प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें तथा अपर संचालक जन सम्पर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

7/ उक्तादेश आदेश जारी होने के दिनांक से 07 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

(रूचिका चौहान)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0

पृ.क्रमांकःक्यू/री–एडीएम/ /2024/915
ग्वालियर, दिनांकः 02/10/2024

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर
5– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6– आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
8– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर
9– समस्त एसडीएम/तहसीलदार ग्वालियर
10– अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्तादेश इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करावें

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0